अध्याय–1

अध्याय–1

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तर्गत राज्य की सरकारी कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगम आते हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए किया गया है। 31 मार्च 2016 को मध्य प्रदेश में 67 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे जिनका विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 1.1*** में दिया गया है। इनमें से कोई भी कम्पनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2015–16 के दौरान किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की स्थापना नहीं हुई तथा न ही कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बंद हुआ। 31 मार्च 2016 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण **तालिका 1.1** में दिया गया है:

तालिका 1.1: 31 मार्च 2016 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकार	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रम	सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रम[1]	योग
सरकारी कम्पनियाँ [2]	55	9	64
सांविधिक निगम[3]	3	––	3
योग	**58**	**9**	**67**

(स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी से संकलित आँकड़े)

31 मार्च 2016 को 58 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (3 सांविधिक निगमों को शामिल करते हुए) थे। सितम्बर 2016 तक की अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार इन कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 78315.94 करोड़ का व्यवसाय किया। यह व्यवसाय राज्य के वर्ष 2015–16 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 13.86 प्रतिशत के बराबर था। सितम्बर 2016 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कुल मिलाकर ₹ 4592.58 करोड़ की हानि उठाई। मार्च 2016 के अंत की स्थिति के अनुसार इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 63459 कर्मचारी नियोजित थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में एक स्वायतशासी निकाय मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) शामिल नही है जिसका भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) एकमात्र लेखापरीक्षक है।

31 मार्च 2016 को नौं अकार्यशील उपक्रम छः से 26 वर्षो तक अस्तित्व मे थे जिनमें ₹ 192.03 करोड़ का निवेश था। यह जोखिमपूर्ण क्षेत्र है चूंकि अकार्यशील उपक्रम में निवेश का राज्य के आर्थिक विकास में कोई योगदान नहीं रहता।

जवाबदेयता संरचना

1.2 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 एवं 143 के अनुसार अधिशासित होती है। अधिनियम की

---

[1] सार्वजनिक क्षेत्रों के अकार्यशील उपक्रम वे है जिन्होने अपने क्रियाकलाप बंद कर दिये है।

[2] सरकारी कम्पनियों में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 की उपधारा 5 व 7 मे वर्णित अन्य कम्पनियॉ शामिल है।

[3] मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन एवं मध्य प्रदेश वित्त निगम।

धारा 2 (45) के अनुसार, "सरकारी कम्पनी" वह कम्पनी है जिसकी प्रदत्त अंश पूँजी में कम से कम 51 प्रतिशत का हिस्सा केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार या सरकार, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकार का हो और जिसमें उस सरकारी कम्पनी की एक सहायक कम्पनी सम्मिलित हो।

इसके अतिरिक्त, सीएजी यदि आवश्यक समझे तो ऐसी कम्पनियाँ जो अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (5) एवं (7) के अन्तर्गत आती है को धारा 143 की उपधारा (7) के अनुसार या किसी आदेश के अनुसार इन कम्पनियों के लेखों की नमूना जाँच कर सकता है तथा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (ए) के प्रावधान भी ऐसी नमूना जाँच प्रतिवेदन पर लागू होगें। इस प्रकार सरकारी कम्पनी या अन्य कोई कम्पनी जिसका स्वामित्व या नियंत्रण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार या अन्य राज्य सरकार या सरकार या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकार के पास हो, की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जा सकती है। 01 अप्रैल 2014 को या उसके पूर्व के वित्तीय वर्षों के संबंध में कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार ही अधिशासित होगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

1.3 सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों (जैसा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा 139 (5) एवं (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा की जाती है, जो अधिनियम की धारा 143 (5) के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के वित्तीय विवरणों को सम्मिलित करते हुये अन्य के साथ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सीएजी को प्रस्तुत करेगा। इन वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(6) के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्राप्त होने के 60 दिनों के अन्दर सीएजी द्वारा संपादित की जाती हैं।

सांविधिक निगमों[4] की लेखापरीक्षा उनसे संबधित विधान द्वारा नियंत्रित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए सीएजी एक मात्र लेखापरीक्षक है। मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन एवं मध्य प्रदेश वित्त निगम की लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउण्टेंटो द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

सरकार एवं विधायिका की भूमिका

1.4 राज्य शासन इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों पर नियंत्रण अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से रखती है। बोर्ड के लिए मुख्य कार्यकारी तथा निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधायिका सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखांकन तथा सरकारी निवेश की उपयोगिता की भी निगरानी करती है। इसके लिए, अधिनियम की धारा 394 या संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार की कम्पनियाँ अपने वार्षिक प्रतिवेदन के साथ सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन एवं सीएजी की टिप्पणियों तथा सांविधिक निगम के संदर्भ में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधायिका में प्रस्तुत की जाती है। सीएजी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (ए) के अधीन शासन को प्रस्तुत किया जाता है।

[4] म.प्र.रा.स.प.नि.: राज्य सड़क परिवहन अधिनियम 1950; म.प्र.वे.ला.कॉ.: वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन अधिनियम 1962 तथा म.प्र.वि.नि.: राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951

मध्य प्रदेश शासन का अंश

1.5 इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य शासन का बड़ा वित्तीय अंश है। यह अंश मुख्यतः तीन प्रकार के है:

- **अंश पूँजी एवं ऋण**– अंशपूँजी योगदान के अतिरिक्त, राज्य सरकार समय समय पर ऋण देकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता**–राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आवश्यकता अनुसार बजटीय सहायता, अनुदान एवं उपदान देती है।
- **प्रत्याभूति**–राज्य सरकार, वित्तीय संस्थानों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रदान किये गये ब्याज सहित ऋण की अदायगी के लिए प्रत्याभूति भी प्रदान करती है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.6 31 मार्च 2016 को, 67 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश (पूँजी तथा दीर्घावधि ऋण) ₹ 69754.35 करोड़ था जिसका विवरण **तालिका 1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकार	सरकारी कंपनियाँ			सांविधिक निगम			कुल योग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यशील उपक्रम	20513.43	46628.38	67141.81	525.97	1894.54	2420.51	69562.32
अकार्यशील उपक्रम	57.59	134.44	192.03	–	–	–	192.03
योग	**20571.02**	**46762.82**	**67333.84**	**525.97**	**1894.54**	**2420.51**	**69754.35**

(स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी से संकलित आँकड़े)

31 मार्च 2016 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश का 99.72 प्रतिशत पूँजी कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों मे एवं शेष 0.28 प्रतिशत पूँजी अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों मे था। इस कुल निवेश का, 30.24 प्रतिशत पूँजी में और 69.76 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों में था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश वर्ष 2011–12 में ₹ 33511.25 करोड़ से 108.15 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 69754.35 करोड़ हो गया जैसा कि **रेखाचित्र–1.1** में दर्शाया गया है।

रेखाचित्र–1.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)

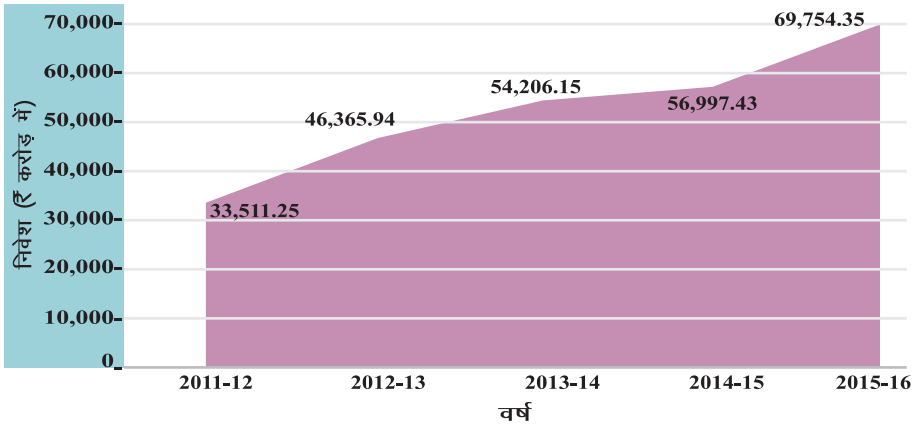

(स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी से संकलित आँकड़े)

1.7 31 मार्च 2016 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का क्षेत्र वार सारांश **तालिका 1.3** में दिया गया है।

तालिका 1.3: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कंपनियाँ		सांविधिक निगम	कुल निवेश (₹ करोड़ में)
	कार्यशील	अकार्यशील उपक्रम	कार्यशील	
ऊर्जा	60496.51	0	0	60496.51
विनिर्माण	310.94	166.77	0	477.71
वित्त	645.97	1.20	1341.31	1988.48
सेवा	5030.23	0	858.65	5888.88
अधोसंरचना	615.55	18.14	0	633.69
कृषि एवं संबंद्ध	42.61	5.92	220.55	269.08
कुल	**67141.81**	**192.03**	**2420.51**	**69754.35**

(स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी से संकलित आँकड़े)

31 मार्च 2012 तथा 31 मार्च 2016 को चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनका प्रतिशत ***रेखाचित्र–1.2*** में दर्शाया गया हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का जोर मुख्यतः ऊर्जा के क्षेत्र में था, जो कि 2011–12 में ₹ 30239.74 करोड़ से बढ़कर 2015–16 में ₹ 60496.51 करोड़ हो गया।

रेखाचित्र 1.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्र वार निवेश

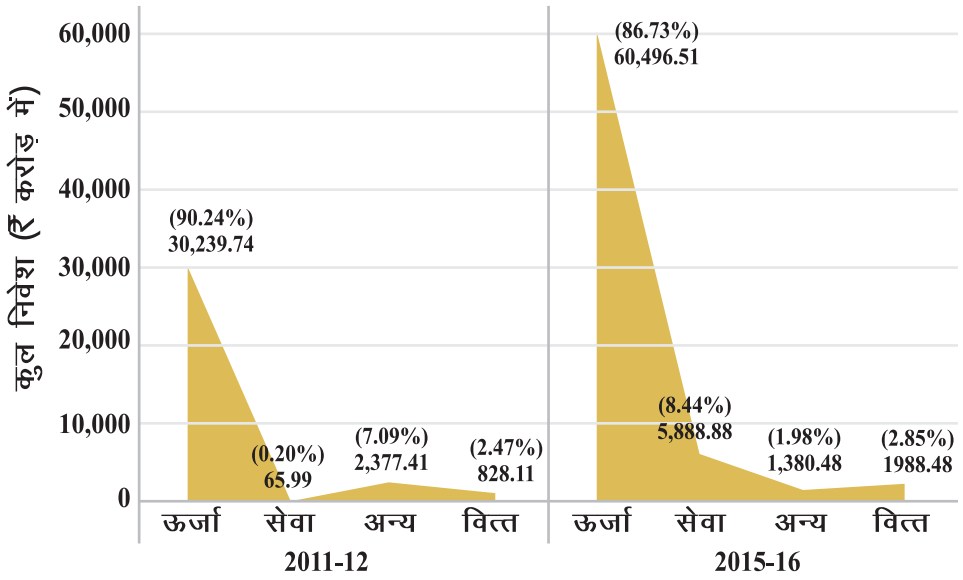

पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में निवेश, वृद्धि की प्रवृति को दर्शाता है। इसमें 108.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई (2011–12 से 2015–16) जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा समता /ऋण में किया गया निवेश एवं ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा पावर फाईनेंस कार्पोरशन लिमिटेड/रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड से अपनी नई परियोजनाओं/विकास/उन्नयन कार्यों के लिए ऋण प्राप्त किया जाना रहा।

1.8 राज्य शासन वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करता हैं। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समता, ऋण, अनुदान/उपदान, ऋण का अपलेखन व ब्याज की माफी के प्रति बजटीय व्यय का संक्षिप्त विवरण 2015–16 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिए **तालिका 1.4** में दिया गया है।

तालिका 1.4: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दी गई बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013–14		2014–15		2015–16	
		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि
1.	बजट से समता पूँजी बहिर्गमन	06	1544.67	08	803.10	6	468.57
2.	बजट से दिये गए ऋण	06	3786.50	05	2060.14	5	1216.82
3.	बजट से प्राप्त अनुदान/उपदान	18	4456.45	15	6058.22	21	8222.61
4.	**कुल बहिर्गमन (1+2+3)**	.	**9787.62**	..	**8921.46**	..	**9908.00**
5.	ऋण एवं ब्याज की माफी	..	..	01	1379.23	..	..
6.	निर्गत प्रत्याभूति	08	6528.32	10	3311.27	11	1327.00
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	09	7873.52	10	8958.90	8	1405.99

(स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी से संकलित आँकड़े)

विगत पाँच वर्षों के लिए समता, ऋण एवं अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन का विवरण **रेखाचित्र–1.3** में दिया गया है।

रेखाचित्र–1.3 : समता, ऋण एवं अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन

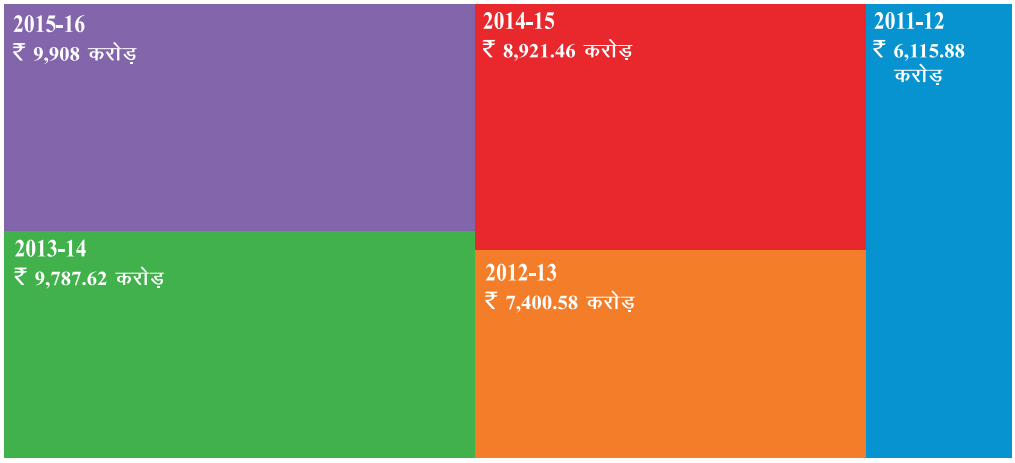

(स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी से संकलित आँकड़े)

बजट से समता, ऋण एवं अनुदान/उपदान सहायता वर्ष 2014–15 में ₹ 8921.46 करोड़ से बढकर 2015–16 में ₹ 9908 करोड़ बहिर्गमित हुई। बजट के ₹ 9908 करोड़ बहिर्गमन में तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को दी गई सहायता ₹ 7870.18 करोड़ शामिल हैं जो क्रमशः ₹ 3268.72 करोड़ मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को, ₹ 3007.37 करोड़ मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड और ₹ 1594.09 करोड़ मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को समता ऋण एवं अनुदान/उपदान के रूप में दी गई।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य गारण्टी नियम 2009 के तहत गारण्टी दी जाती है

जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा गारण्टी शुल्क आरोपित किया जाता हैं। यह शुल्क 0.50 प्रतिशत से एक प्रतिशत तक की दर से राज्य सरकार द्वारा ऋणी के आधार पर लगाया जाता हैं। गारण्टी प्रतिबद्धता वर्ष 2013–14 में ₹ 7873.52 करोड़ से घटकर वर्ष 2015–16 में ₹ 1405.99 करोड़ हो गयी। इसके अलावा वर्ष 2015–16 के दौरान चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा गारण्टी शुल्क ₹ 82.57 करोड़ का भुगतान किया गया। वर्ष के दौरान सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा गारण्टी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया और जिनके विरूद्ध संचित/बकाया गारण्टी शुल्क/कमीशन ₹ 124.52 करोड़ था (31 मार्च 2016 को) ।

वित्तीय लेखों के साथ मिलान

1.9 राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के अभिलेखों के अदत्त अनुसार समता, ऋण और प्रत्याभूति के आँकड़े, राज्य के वित लेखों में दर्शाये गये आकड़ों के समान होने चाहिए। यदि आँकड़ों में भिन्नता हो तो, संबंधित पी.एस.यू. और वित विभाग को भिन्नताओं का मिलान करना चाहिये । इस संबंध में 31 मार्च 2016 की स्थिति **तालिका 1.5** में दर्शित है।

तालिका 1.5: वित्त लेखों और पी.एस.यू. के अभिलेखों के अनुसार अदत समता, ऋण और प्रत्याभूतियां

(₹ करोड़ में)

निम्नांकित के संबंध में बकाया	वित्त लेखे के अनुसार राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखो के अनुसार राशि	अंतर
समता	8783.96	14298.75	5514.79
ऋण	17883.38	30938.61	13055.23
प्रत्याभूतियां	6071.84	5907.42	164.42

(स्रोत : वित्तीय लेखे 2015–16 तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी)

लेखापरीक्षा ने पाया कि, 40 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में अन्तर थे, और इनमें से कुछ अन्तरों का मिलान पूर्व के पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्यतः अन्तर उर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में पाया गया। यद्यपि वित्त लेखों में दर्ज आँकड़े और पी.एस.यू. के अभिलेखों में भिन्नताओं को पूर्व के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रदर्शित किया गया था, परन्तु राज्य शासन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई। शासन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अन्तरों के मिलान के लिये तय समय सीमा के अंदर ठोस कदम उठाना चाहिये।

लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

1.10 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 96 (1) के साथ धारा 129(2) के प्रावधानों के अनुसार सितंबर माह के अंत तक संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीने के अंदर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इसमे हुई विफलता अधिनियम की धारा 99 के तहत् दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित कर सकती हैं, जो प्रदान करती है कि कम्पनी का हर अधिकारी जिससे चूक होगी, पर एक लाख रूपये तक का आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा, जिसे बढाया जा सकता हैं और सतत् चूक के मामले में अर्थिक दण्ड को बढाकर पाँच हजार रूपये प्रतिदिन तक जब तक चूक बनी रहें तक विस्तार किया जा सकता हैं। सरकारी कम्पनियाँ जिनके लेखा बकाया हैं के प्रबन्धन इस चूक के लिये उत्तरदायी होंगे। इसी तरह सांविधिक निगम के मामले में लेखों का अंतिमीकरण, लेखापरीक्षण एवं विधायिका में प्रस्तुतीकरण संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।

30 सितम्बर 2016 तक लेखों के अंतिमीकरण करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की गई प्रगति का विवरण **तालिका 1.6** में प्रस्तुत है।

तालिका 1.6: कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के अन्तिमीकरण से सम्बन्धित स्थिति

क्र. स.	विवरण	2011–12	2012–3	2013–14	2014–15	2015–16
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या	55	55	58	58	58
2.	वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिये गए लेखाओं की संख्या	50	49	47	59	56
3.	बकाया लेखाओं की संख्या	63	64	84	77	79
4.	बकाया लेखाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या	26	25	32	36	32
5.	बकायों की सीमा (वर्षो की सीमा)	1–8	1–9	1–10	1–11	1–12

जैसा कि तालिका 1.6 में देखा जा सकता है कि कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लंबित लेखों की संख्या 63 (2011–12) से बढ़कर 79 (2015–16) हो गई। लंबित लेखों में 70 सरकारी कम्पनियों के लेखे एक से 12 वर्ष की अवधि तथा दो सांविधिक निगमों के लेखें अर्थात मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक कॉर्पोरेशन के एक वर्ष के लेखे और मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के आठ वर्षों के लेखे शामिल है।

प्रशासनिक विभागों पर इन इकाईयों के कार्यकलापों का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व है तथा यह भी सुनिश्चित करना कि ये पी.एस.यू. अपने लेखों का अंतिमीकरण एवं उनका अंगीकरण निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर कर रहे है । संबंधित विभाग/मंत्रालय को नियमित रूप से उपमहालेखाकार द्वारा अवगत कराया गया। इसके अलावा, इस मामले को महालेखाकार द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से लेखा की बकाया स्थिति को समाप्त करने हेतु मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव (वित्त) मध्य प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया गया। यद्यपि कोई सुधार नहीं देखा गया।

1.11 राज्य सरकार ने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 1874.13 करोड़ {(समताः ₹ 159.59 करोड़ (चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), ऋणः ₹ 1096.59 करोड़ (तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) एवं अनुदानः ₹ 617.95 करोड़ (सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)} का निवेश उन वर्षो में किया जिनके लेखे अंतिमीकृत नहीं हुये थे जिनका विवरण ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया है । लेखों के अंतिमीकरण और उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि, किये गये निवेश और व्यय का लेखांकन उचित तरीके से किया गया था एवं जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था, उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं । इस प्रकार इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शासकीय निवेश राज्य की विधायिका के नियंत्रण से बाहर रहा।

1.12 उपरोक्त के अतिरिक्त, 30 सितम्बर 2016 की स्थिति में अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों का अंतिमीकरण लंबित था। नौ अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से सात[5] परिसमापन की प्रक्रिया में थे। शेष दो अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों का विलंबन चार से सात वर्ष के बीच था।

[5] म.प्र. लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, म.प्र. राज्य दुग्ध विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. फिल्म विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड, ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड और म.प्र. विद्युत यंत्र लिमिटेड

तालिका 1.7: अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लंबित बकाया लेखों की स्थिति

अकार्यशील उपक्रम का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखें लंबित रहें	लेखों में विलम्बन संख्या वर्षों में
मध्य प्रदेश राज्य टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2009–10	07
मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम लिमिटेड	2012–13	04

लेखों के अंतिमीकरण न होने के प्रभाव

1.13 जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है (कंडिका 1.10 से 1.12) लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब से प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन के साथ लोकनिधि की धोखाधड़ी एवं बर्बादी के जोखिम की संभावना हो सकती है । उपरोक्त के अनुसार राज्य के लंबित लेखों की दशा में वर्ष 2015–16 में राज्य की जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वास्तविक योगदान का आकलन नहीं किया जा सकता तथा राजकोष में उनके योगदान को भी राज्य की विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया गया।

अतः ये अनुशंसा की जाती है कि :

- **सरकार को बकाया के निराकरण के निरीक्षण हेतु एक प्रकोष्ठ बनाना चाहिये और प्रत्येक कम्पनी/निगम के लिये लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिये जिसका निरीक्षण प्रकोष्ठ द्वारा किया जाये ।**
- **जहाँ स्टाफ अपर्याप्त या अयोग्य है वहाँ सरकार को लेखे तैयार करने के लिये बाह्य स्रोत पर विचार करना चाहिये।**

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

1.14 निगम की वित्तीय लेखापरीक्षा के पूरा होने पर, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) निगम के प्रबंध निदेशक और राज्य शासन को जारी की जाती हैं। प्रत्येक निगम के संबंधित कानून के अनुसार, प्रबंध निदेशक एसएआर को अग्रेषित कर राज्य विधायिका में प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य सरकार के द्वारा एसएआर को राज्य विधायिका में रखा जायेगा।

सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी द्वारा निर्गमित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को (30 सितम्बर 2016 तक) राज्य विधायिका में प्रस्तुत किये जाने की स्थिति **तालिका 1.8** में दर्शित है ।

तलिका 1.8: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधायिका में प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक का एसएआर विधायिका में रखा गया	एसएआर जिस वर्ष से विधायिका में रखा जाना शेष है	
			एसएआर का वर्ष	शासन को जारी करने की तिथि/वर्तमान स्थिति
1	म.प्र. वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2014–15	2015–16	लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिये गए
2	म.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड़	2007–08	2008–09	लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिये गए
3	म.प्र. वित्त निगम लिमिटेड	2014–15	2015–16	लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिये गए

अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.15 कार्यशील सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम का विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 1.1*** में है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आवर्त का राज्य के जीडीपी के साथ अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधियों को दर्शाता है। समाप्त हुये वर्ष 2015–16 से पूर्व के पाँच वर्षों की अवधि का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का आवर्त और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का विस्तृत विवरण **तालिका 1.9** में प्रदर्शित है ।

तालिका 1.9: कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का आवर्त और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का विस्तृत विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
आवर्त[6]	37949.25	58237.27	59860.12	61264.36	78315.94
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद	305158.00	361270.00	434730.00	508006.00	565053.43
राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में आवर्त का प्रतिशत	12.44	16.12	13.77	12.06	13.86

(स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी से संकलित आँकड़े)

राज्य की जीडीपी में आवर्त की प्रतिशतता वर्ष 2011–12 में 12.44 प्रतिशत से बढ़कर 2012–13 में 16.12 प्रतिशत हो गयी तत्पश्चात 2014–15 में घटकर 12.06 प्रतिशत हो गई जो कि वर्ष 2013–14 और 2014–15 के दौरान राज्य सकल घरेलु उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के घटते योगदान को इंगित करता है। हालाकि, यह वर्ष 2015–16 के दौरान बढकर 13.86 प्रतिशत हुई।

1.16 वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान राज्य में कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हुई समग्र हानि **रेखाचित्र 1.4** में प्रदर्शित की गई है ।

रेखाचित्र 1.4 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समग्र हानि वर्ष के दौरान कार्यशील सार्वजानिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा उठाई गई कुल हानि

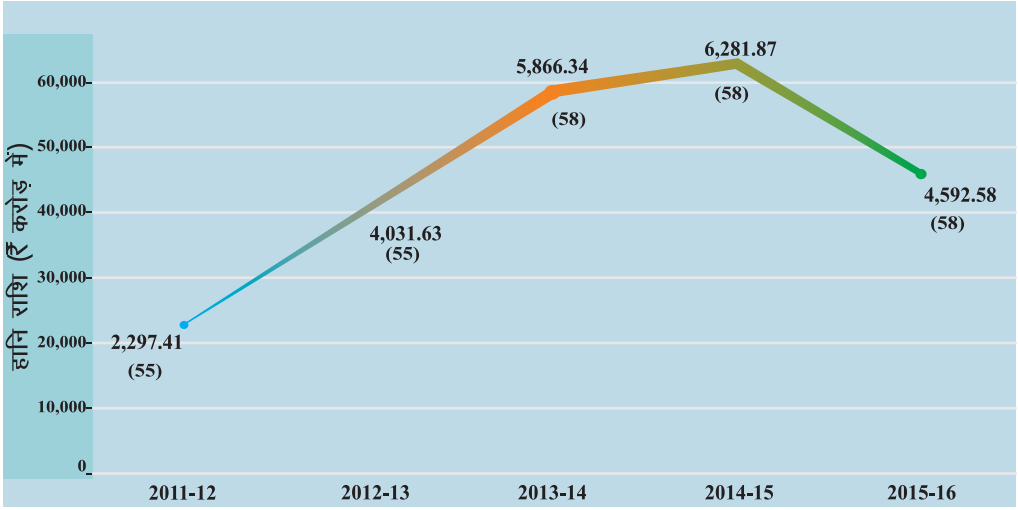

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े अद्यतन लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर संबंधित वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या को दर्शाते हैं।)
(स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी से संकलित आँकड़े)

[6] 30 सितम्बर को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार आवर्त

रेखाचित्र 1.4 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वर्ष 2014–15 तक हानि की बढती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है। हानि वर्ष 2011–12 में ₹ 2297.41 से बढकर, 2014–15 तक ₹ 6281.87 हुई तथा वर्ष 2015–16 में घटकर ₹ 4592.58 हुई। 30 सितम्बर 2016 की स्थिति में नवीनतम अंतिम रूप दिये गए लेखो के अनुसार, 58 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 31 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 729.34 करोड़ लाभ अर्जित किया और 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 5321.92 करोड़ की हानि वहन की। पाँच कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने लेखे 'न लाभ न हानि' के आधार पर तैयार किये और एक कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने अपने प्रथम लेखे का अंतिमीकरण नहीं किया। लाभ में प्रमुख योगदान मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 120.81 करोड़), मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (₹ 118.66 करोड़), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (₹ 107.87 करोड़), मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 70.50 करोड़) का था।

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 2766.08 करोड़), मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1207.01 करोड़), मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1161.58 करोड़) भारी नुकसान वहन करने वाली कम्पनियाँ रही।

1.17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ अन्य प्रमुख मापदण्ड **तालिका 1.10** में दिये गये हैं ।

तालिका 1.10 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
नियोजित पूँजी पर प्रत्याय (प्रतिशत में)[7]	––	––	––	––	––
ऋण	21670.95	28932.24	34988.54	37178.92	46322.04
आवर्त[१]	37949.25	58237.27	59860.12	61264.36	78315.03
ऋण/आवर्त अनुपात	0.57:1	0.50:1	0.58:1	0.61:1	0.59:1
ब्याज का भुगतान	1601.69	2715.97	3382.32	4064.62	4616.10
संचित लाभ/(हानि)	(–)15348.27	(–)21743.28	(–)28254.01	(–)29597.25	(–)31609.10

(स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी से संकलित आँकड़े)

संचित हानि प्रतिमान में वृद्धि देखी गई, जो 2011–12 में ₹ 15348.27 करोड़ से बढ़कर 2015–16 में ₹ 31609.10 करोड़ हो गई । मुख्य योगदान करने वाले कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 13998.21 करोड़), मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 10001.41 करोड़), मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 9986.02 करोड़) थे । यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के परिचालन की बिगड़ती स्थिति को इंगित करता है। ऋण आवर्त अनुपात 2011–12 में 0.57:1 से बढकर 2015–16 में 0.59:1 हुआ। इससे प्रदर्शित होता है कि इस दौरान जिस अनुपात में ऋण में वृद्धि में हुई उस अनुपात में सालाना बिक्री में वृद्धि नहीं हुई।

---

[7] नियोजित पूंजी पर कुल प्रत्याय नकारात्मक है, अतः निरंक माना गया।

[१] 30 सितम्बर को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार पीएसयू का आवर्त।

1.18 राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2005 में लाभांश नीति तैयार की गई थी जिसके तहत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने कर पश्चात लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत लांभाश भुगतान करना आवश्यक है। अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार 31 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 729.34 करोड़ लाभ अर्जित किया और उनमें से सिर्फ दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों[8] ने ₹ 12.10 करोड़ का लाभांश घोषित किया। इस प्रकार 29 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लाभ अर्जित करने के बावजूद लाभांश घोषित न करके मध्य प्रदेश शासन की लाभांश नीति का उल्लंघन किया।

अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का समापन

1.19 31 मार्च 2016 को सार्वजनिक क्षेत्र के नौ उपक्रम अकार्यशील थे। उनमें से सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या **तालिका 1.11** में दी गई हैं।

तालिका 1.11: अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
अकार्यशील सरकारी कंपनियों की संख्या	09	09	09	09	09
अकार्यशील सांविधिक निगमों की संख्या	––	––	––	––	––
कुल	**09**	**09**	**09**	**09**	**09**

अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान और अपेक्षित उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे है, इसलिये इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को या तो बंद किये जाने या पुर्नजीवित किये जाने पर विचार किया जा सकता है। वर्ष 2015–16 के दौरान दो अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों[9] का प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय ₹ छः लाख रहा। इन व्ययों के लिए वित्तपोषण मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया गया (₹ 2.43 करोड़)।

1.20 वर्ष 2015–16 के दौरान किसी भी कम्पनी की समापन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बंद होने के विभिन्न चरणो की **तालिका 1.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बंद होने के चरण

संख्या	विवरण	कम्पनी	सांविधिक निगम	कुल
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या	9	––	9
2.	उपरोक्त (1) में से संख्या नीचे			
(अ)	न्यायालय द्वारा परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	––	––	––
(ब)	स्वेच्छा से परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	7	––	7[10]

[8] म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड व म.प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड।

[9] म.प्र. राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड एवं म.प्र. राज्य उद्योग निगम लिमिटेड।

[10] मध्य प्रदेश लिफ्ट ईरीगेशन निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश पंचायतीराज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड, ऑप्टेल टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड।

संख्या	विवरण	कम्पनी	सांविधिक निगम	कुल
(स)	समापन/बन्द करने के आदेश/अनुदेश जारी हो गए है परन्तु परिसमापन प्रक्रिया अभी तक प्रारंभ नही हुई है।	2	––	2

(स्रोत : कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रदत्त जानकारी [11])

वर्ष 2015–16 के दौरान, किसी भी कम्पनी का परिसमापन नही हुआ। सरकार दो अकार्यशील उपक्रमों[12] के परिसमापन के संबंध में निर्णय ले सकती है जबकि इनके अकार्यशील होने के बावजूद चालू रखने या न रखने के संबंध में कोई निर्णय नही लिये गये।

कम्पनी अधिनियम में स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया अधिक तेज है और इसे सख्ती से अपनाये जाने की आवश्यकता है।

लेखों पर टिप्पणियाँ

1.21 वर्ष 2015–16 के दौरान, 46 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उनके 56 अंकेक्षित लेखे महालेखाकार को भेजे गए। इनमें से 24 सरकारी कंम्पनियों के 31 लेखो का अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षको के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा यह इंगित करता है कि लेखे के रखरखाव की गुणवत्ता मे काफी सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी की टिप्पणी की मौद्रिक मूल्य का विवरण **तालिका** 1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: कार्यशील कम्पनियों पर लेखा टिप्पणिओं का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013–14		2014–15		2015–16	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	02	15.87	03	8.39	13	190.33
2.	हानि में वृद्धि	03	181.06	02	52.16	05	9850.28
3.	तथ्यों को प्रकट न करना	06	110.63	02	697.28	08	123.79
4.	वर्गीकरण की त्रुटियां	10	234.26	02	2548.36	14	843.87

वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षको द्वारा 32 लेखों पर अमर्यादित प्रमाण पत्र और 24 लेखों मे मर्यादित प्रमाण पत्र दिये गये। वर्ष के दौरान 16 लेखों में 81 मामले ऐसे थे जिनमे लेखामानको का अनुपालन नही किया गया।

1.22 इसी तरह मध्य प्रदेश वित्त निगम ने वर्ष 2015–16 के लेखे महालेखाकार को भेजे। इस लेखे पर सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा अर्हता प्रमाण पत्र दिया गया और लेखे को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिये चयनित किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षक की अंकेक्षण प्रतिवेदन और सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा यह इंगित करता है कि लेखे के रखरखाव की गुणवत्ता मे काफी सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षको और सीएजी की टिप्पणी के मौद्रिक मूल्य का विवरण **तालिका** 1.14 में दर्शाया गया है।

[11] वर्ष 2015–16 में कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा निर्णायक जानकारी प्रस्तुत न करने के कारण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014–15 से ग्रहण की गई।

[12] म.प्र. राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड एवं म.प्र. राज्य उद्योग निगम लिमिटेड।

तालिका 1.14: कार्यशील सांविधिक निगमों के लेखों पर अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013–14		2014–15		2015–16	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	02	8.80	01	13.30	1[13]	1.54
2.	वर्गीकरण की त्रुटियां	02	23.60	––	––	1	17.23

लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

निष्पादन लेखापरीक्षाएँ तथा कंडिकाएँ

1.23 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के लिए तीन निष्पादन लेखापरीक्षा, और छः विभागों सें जुडे 17 अंकेक्षण कंडिकाएं संबधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव को 6 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध के साथ जारी किए गए थे। हालांकि सात अनुपालन लेंखापरीक्षा कंडिकाओं सें संबधित उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2016)।

लेखा प्रतिवेदनों का अनुपालन

अप्राप्त उत्तर

1.24 भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जांच की प्रक्रिया के चरम स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसलिये यह आवश्यक है कि वे कार्यपालिका से उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन ने सभी प्रशासनिक विभागों को मई 2016 में निर्देशित किया कि सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मे शामिल कंडिका/पैराग्राफ के उत्तर निर्धारित प्रारुप में कोपू से प्रश्नावली की प्रतीक्षा किये बिना व्याख्यात्मक नोट विधानसभा में प्रस्तुति के तीन माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करे।

तालिका– 1.15: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (30 सितम्बर 2016 की स्थिति में)

लेखपरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक/पीएसयू)	राज्य विधायिका में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं कंडिकाएँ		निष्पादन लेखापरीक्षाएँ/कंडिकाओं की संख्या जिनके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं	
		निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ
2014–15	17.03.2016	03	13	02	06
कुल		**03**	**13**	**02**	**06**

उपरोक्त **तालिका 1.15** से यह देखा जा सकता है कि 13 कंडिकाओं और तीन निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से छः कंडिकाओं और दो विभागों की दो निष्पादन लेखापरीक्षा पर टिप्पणी की गई थी, उनपर व्याख्यात्मक टिप्पणी अप्राप्त थे (सितम्बर 2016)।

[13] मध्य प्रदेश वित निगम

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.25 30 सितम्बर 2016 को निष्पादन लेखापरीक्षाओं एंव कंडिकाओं की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू) में शामिल थी और जिन पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के द्वारा चर्चा की गई जिसका विवरण नीचे **तालिका 1.16** में दिया गया है।

तालिका 1.16: 30 सितम्बर 2016 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल की गई निष्पादन लेखापरीक्षाओं/कंडिकाओं पर की गई चर्चा का विवरण

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/कंडिकाओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल		चर्चा की गई कंडिकाएँ	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ
2009–10	02	09	02	08
2012–13	05	11	04	05
2013–14	03	08	02	04
2014–15	03	13	00	00
कुल	**13**	**41**	**08**	**17**

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) के प्रतिवेदेनों का अनुपालन

1.26 सितम्बर 1976 एवं मार्च 2016 के मध्य राज्य की विधायिका के समक्ष कोपू के 49 प्रतिवेदनों से संबधित 275 कंडिकाओं पर शासकीय विभागों की कार्यवाही का विवरण प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2016) जैसा कि **तालिका 1.17** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.17: कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू के प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	कोपू के प्रतिवेदन में अनुशंसाओं की कुल संख्या	अनुशंसाओं की संख्या जिनके लिए कार्यवाही विवरण प्राप्त नहीं हुए
1973–74 से 2003–04	28	653	167
2004–05	04	54	18
2005–06	05	45	25
2006–07	02	30	16
2007–08	03	28	16
2008–09	01	39	26
2009–10	01	03	02
2010–11	05	05	05
कुल	**49**	**857**	**275**

कोपू की इन प्रतिवेदनों में 11 विभागों से सबंधित कंडिकाओं के बारे में अनुशंसाएं थी जो 1973–74 से 2010–11 के वर्षो में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन मे शामिल थी।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि:

- **निरीक्षण प्रतिवेदनों/व्याख्यात्मक टिप्पणियों/प्रारुप कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षकों एवं कोपू की अनुशंसाओं पर कार्यवाही विवरणों के उत्तर निर्धारित समय सीमा में भेजे जाए;**
- **हानियाँ/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान आदि की वसूली निर्धारित समय सीमा के अंदर की जाए; एवं**
- **लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर देने के लिये तंत्र में सुधार लाया जाये।**